न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/2019

1. सोमा देवी पुत्री जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णा देवी पुत्री जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुगना देवी उर्फ कमला देवी पुत्री जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. सिलोचना देवी पुत्री जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारआम श्योपतराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. चन्द्रभान पुत्र जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. प्रभुराम पुत्र जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. श्योपत पुत्र जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. संदीप कुमार पुत्र जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. माया देवी पुत्री जानी देवी पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। जरिये मुख्त्यारआम श्योपतराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पॉडेन्ट्स

बनाम

1. भजनलाल पुत्र केशराराम जाति मेघवाल निवासी चक एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 02.04.2019

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थिति–

श्री अजीत कुमार सुथार अभिभाषक अपीलांट
श्री राधेश्याम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक– 18/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 251(क) के तहत प्रा.पत्र पेश कर चक 58 एनपी के मु.नं. 16 के कि.नं. 5 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया जिसपर दिनांक 09.01.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर दिनांक 03.11.2017 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 को आवेदित रास्ता स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(A) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने राज.काश्त. अधि. की धारा 251(क) की एवं इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

(B) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में प्रकरण को रिमाण्ड करने में कोई एतराज नहीं किया।

3. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अधी. न्यायालय ने राज.काश्त.अधि. की धारा 251(क) के नियम 69 की पालना नहीं की है एवं इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका खण्डन वकील रेस्पों. ने नहीं किया और प्रकरण को रिमाण्ड करने में सहमति जताई।

(b) अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.04.2019 निरस्त कर प्रकरण अधी. न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज.काश्त.

अधि. की धारा 251(क) के नियम 69 एवं इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए, उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर